न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई,ए,एस)

अपील संख्या 559/2023 (56/2022)

1. मंगल चन्द पुत्र भीवाराम
2. हरि सिंह पुत्र भीवाराम
3. रामलाल पुत्र नारायण

समस्त जाति जाट, निवासीयान पुरा की ढाणी ग्राम पंचायत भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर
2. तहसीलदार धोद जिला सीकर तहसील कार्यालय धोद जिला सीकर
3. ग्राम पंचायत भैरूपुरा, जरिये सरपंच, ग्राम भैरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री बनवारी लाल शर्मा अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री हरलाल सिंह रेस्पोडेन्ट सं0 3 कि ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25/01/2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर के आदेश दिनांक 06.12.2021 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है अपीलार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम पुरा कि ढाणी तहसील धोद जिला सीकर में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 1063/158 व खसरा नं0 1065/158 के रिकार्डेड एवं कब्जाकाश्त खातेदारो को किसी प्रकार का नोटिस दिये बिना ही

संभागीय आयुक्त
सीकर

बाला बाला पंचायत प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार भी प्रभावित पक्षकार/खातेदार को सुना जाना आवश्यक था, जिसकी पालना किये बिना ही उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा राजनैतिक प्रभाव के चलते हुए अपीलाधीन आदेश पारित फरमाया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 452 दिनांक 11.08.2021 जिसमें वर्णित किया गया है कि आम रास्ता ग्राम पंचायत धर्मपुरा के ग्राम पुरा कि ढाणी स्टैण्ड से सबलपुरा से बाईपास तक जाने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है परन्तु रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति का बिना किसी अवलोकन के उक्त पत्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 को जारी किया गया है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जो रास्ता प्रचलित बताते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना वर्णित किय गया है उस रास्ते मे आने वाले खसरा नं0 1065/158 व 1063/158 के अलावा अन्य सभी खसरान् की भूमियो मे पहले से प्रचलित रास्ता उपलब्ध है। जो निर्णय दिनांक 06.12.2021 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा पारित किया है वह ग्राम पंचायत मुख्यालय भैरूपुरा के स्थान पर अन्य जगह मुकाम कैम्प कासली में पारित किया है, चुंकि अपीलाधीन आदेश मुकाम कैम्प भैरूपुरा में आयोजित होकर निर्णय पारित होता तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी ग्रामवासियों के साथ ही अपीलान्टगण को होती तथा मौके पर उपखण्ड अधिकारी मय तहसीलदार वास्तविकता का मुआयना करने के पश्चात आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत था। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थीगण दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2021 में निजि रास्ते को प्रचलित रास्ता बताकर रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश जो कि भैरूपुरा पंचायत के बजाय कासली पंचायम में आयोजित केम्प में पारित किया गया है। अतः अपीलधीन आदेश दिनांक 06.12.2021 को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने दौराने बहस कथन किया की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 में प्रचलित रास्ते का हि राजस्व रिकार्ड में अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 06.12.2021 विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमायी जावें।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण से पूर्व आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना आवश्यक है।

संभागीय आयुक्त
सीकर

अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस या सूचना नही दी गयी इसलिए निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावलरी के अवलोकन से जाहीर है अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई सूचना नही गई है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है। अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी धोद के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने को निरस्त कराना चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश कासली पंचायत में आयोजित केम्प में पारित किया है जबकि विवादित आराजियात ग्राम पंचायत भैरूपुरा में अवस्थित है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत नहीं है तथा अपीलाधीन पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नही हुआ। फर्द मौका रिपोर्ट पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नही करना न्यायहित में नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत व न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 को अपास्त किया जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 25/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर